न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
18/दावा/2021	26.02.2021	28.09.2021

1. शुभम नागर आ0 शिवराज नागर जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेडा नाबालिग जर्ये संरक्षक पिता शिवराज आ0 गिल्या जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. शिवराज आ0 गिल्या जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......वादीगण

बनाम

1. गील्या आ0 जुवारा जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्तावादीः– श्री चन्द्रप्रकाश नागर

अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री भागचन्द

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,53 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि आराजी खाता सं0 नया 21 पुराना 20 की कृषि भूमि खसरा सं0 169/394 रकबा 2.8975 हे0, ख0सं0 178 रकबा 0.5908 हे0, ख0सं0 301 रकबा 4.0873 हे0 कुल किता–3 रकबा 7.5756 हे0 वाके ग्राम व माल कोथ्या पटवार हल्का ठीकरिया चारणान भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी संलगन है।

पक्षकारान का पीढी वृक्ष निम्नप्रकार है–

जुवारा

↓

गील्या (प्रति0 सं0 1)

↓

शिवराज (वादी सं0 2)

↓

शुभम नागर (वादी सं0 1)

2. यह कि मूल पुरूष जुवारा है। जुवारा का पुत्र गिल्या है, गील्या का पुत्र वादी सं0 2 शिवराज है व शिवराज का पुत्र वादी सं0 1 शुभम नागर है, जो वाद में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 है आवश्यक पक्षकार है, इसलिए वाद में पक्षकार बनाये गये है।
3. यह कि वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरूखों से पिढ़ी दर पीढ़ी दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी सं0 1 व वादी सं0 2 का 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है, क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि रहन बेचान व अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सं0 1 व वादी सं0 2 का 1/2 हिस्से का सह-खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है।

5. यह कि उक्त भूमि बैंक के नाम रहन दर्ज है जिसमे वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य बंटवारा होने से बैंक के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है, क्योंकि बंटवारा परिवार के मध्य ही होना है तथा बैंक रहन बदस्तूर रखा जावे।

6. यह कि वादीगण ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 से कहा तो साफ इन्कार कर दिया और कहा कि तुम्हारी कोई जमीन नही है न ही तुम्हें बटवारे में कोई जमीन मिलेगी तथा उक्त भूमि को रहन बेचान करने व हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। यही वाद कारण है जो दिनांक 02.02.2021 को पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण को वाद डिक्री किया जाकर के प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे-

1. यह कि आराजी खाता सं0 नया 21 पुराना 20 की कृषि भूमि खसरा सं0 169/394 रकबा 2.8975 हे0, ख0सं0 178 रकबा 0.5908 हे0, ख0सं0 301 रकबा 4.0873 हे0 कुल किता-3 रकबा 7.5756 हे0 वाके ग्राम व माल कोथ्या पटवार हल्का ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है, जिसमें वादी सं0 1 व वादी सं0 2 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे तथा बैंक रहन बदस्तूर रखा जावे इस आश्य की विधिवत् घोषणा की जाकर बंटवारा किया जावे एवं डिक्री पारित की जावे।
2. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे दिलायी जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 लगा0 6 स्वीकार है। च0सं0 7 न्यायालय से सम्बन्धित है। च0सं0 8 व 9 कानूनी है। प्रार्थना वादीगण स्वीकार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हे कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में मुझ प्रतिवादी सं0 1 गिल्या को कोई आपत्ति व ऐतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 21 ग्राम कोथ्या संवत् 2076, मिलान क्षेत्रफल ग्राम कोथ्या संवत् 2028-2047, जमाबन्दी पंचशाला मोजा कोथ्या, नामान्तकरण पंजिका प्रविष्टी सं0 43 दिनांक 27.08.1957, शिवराज का साक्ष्य शपथ पत्र की प्रतियाँ पेश की।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य राजीनामा हो चुका है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। राजीनामा निम्नप्रकार है-

यह कि आराजी खाता सं0 नया 21 पुराना 20 की कृषि भूमि खसरा सं0 169/394 रकबा 2.8975 हे0, ख0सं0 178 रकबा 0.5908 हे0, ख0सं0 301 रकबा 4.0873 हे0 कुल किता-3 रकबा 7.5756 हे0 वाके ग्राम व माल कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है, जिसमे वादी सं0 1 व वादी सं0 2 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार रहेगे तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार रहेगा। बैंक रहन यथावत् रहेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजीनामा को तस्दीक फरमाते हुये मुताबिक राजीनामा वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा हाजिर होकर राजीनामा लिखित पेश किया, जिसे उनके द्वारा पढ़ सुनकर सही होना तस्दीक किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो से वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का पैतृक होना पाया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत नजीरे The Rajasthan Tenancy Act, 1955 page no. 281-282, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक 5(1)6/97/10 दिनांक 08.09.1997 में उद्धरण किया है कि हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता के नाम की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में इन प्रावधानो के अन्तर्गत बंटवारे द्वारा जोत का विभाजन करवा सकता है। इसी प्रकार RRD 1981 Devi lal V/s Smt, Fattu Bai page no. 512-516Appeal No. 343/Udaipur of 77, decided

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

on 2nd July, 1981 का अवलोकन किया प्रस्तुत नजीर में अंकित किया है कि Raj Tenancy Act, Secs. 42 & 53 Devolution ot tenancies Right of son by birth in ancestral land during life time of father – Held that Hindu sons have right by birth in ancestral holding in hands of father even during life time and can claim partition- 1978 RRD 375 (HC), followed and 1977 RRD 233 (LB), distinguished. उक्त नजीरे चस्पा होती है। अत: वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा सं0 169/394 रकबा 2. 8975 हे0, ख0सं0 178 रकबा 0.5908 हे0, ख0सं0 301 रकबा 4.0873 हे0 कुल किता–3 रकबा 7.5756 हे0 वाके ग्राम व माल कोथ्या पटवार हल्का डीकरिया पारणान तहसील तालेड़ा में वादी सं0 1 व 2 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास कमल कुमार मीना, आर0ए0एस0

1. शुभम नागर आ0 शिवराज नागर जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेडा नाबालिग जर्ये संरक्षक पिता शिवराज आ0 गिल्या जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. शिवराज आ0 गिल्या जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......वादीगण

बनाम

1. गील्या आ0 जुवारा जाति धाकड़ निवासी कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,53 आर.टी.एक्ट
18/दावा/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री भागचन्द एडवोकेट मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व [redacted] डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा सं0 169/394 रकबा 2.8975 हे0, ख0सं0 178 रकबा 0.5908 हे0, ख0सं0 301 रकबा 4.0873 हे0 कुल किता–3 रकबा 7.5756 हे0 वाके ग्राम व माल कोथ्या पटवार हल्का ठीकरिया चारणान तहसील तालेड़ा में वादी सं0 1 व 2 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

नीज.............................. मुबलिक................................. बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28 माह 09 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner